(145)

न्यायालय राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश, ग्वालियर
समक्ष : मनोज गोयल,
अध्यक्ष

निगरानी प्रकरण कमांक 3668–पीबीआर/16 विरूद्ध आदेश दिनांक 05–10–16 पारित द्वारा न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर, प्रकरण कमांक 528/अपील/2015–16.

.....

1– नागेन्द्रसिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह ठाकुर
2– वीरेन्द्रसिंह पुत्र श्री जंगबहादुर सिंह ठाकुर
निवासीगण 125, 126 पाटनीपुर इंदौर

..... आवेदकगण

विरूद्ध

1– शिवकांत पुत्र श्री चन्द्रहास अवस्थी
2– रमाकांत पुत्र श्री चन्द्रहास अवस्थी
3– विश्वबिहारी पुत्र श्री चन्द्रहास अवस्थी मृतक वारिसान :–
अ– श्रीमती उषाबाई पत्नी स्व0श्री विश्वबिहारी अवस्थी
ब– श्रीमती मनीषा पत्नी स्व0श्री संजय अवस्थी पुत्री स्व.श्री विश्वबिहारी
निवासीगण 61 केशरबाग रोड आरटीओ के सामने इंदौर

.....अनावेदकगण

श्री अजय श्रीवास्तव, अभिभाषक– आवेदकगण
श्री वीरेन्द्र कुमार जैन, अभिभाषक– अनावेदक कमांक 1 व 2

:: आ दे श ::

(आज दिनांक: 31/5/17 को पारित)

यह निगरानी आवेदकगण द्वारा मध्यप्रदेश भू राजस्व संहिता, 1959 (जिसे आगे संक्षेप में केवल "संहिता" कहा जायेगा) की धारा 50 के अंतर्गत न्यायालय अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–10–16 के विरूद्ध इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

2/ प्रकरण के तथ्य सन्क्षेप में इस प्रकार है कि अनुविभागीय अधिकारी के आदेश दिनांक 21–6–16 के विरूद्ध द्वितीय अपील अपर आयुक्त के समक्ष प्रस्तुत

किये जाने पर अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण दर्ज कर दिनांक 5–10–16 को आदेश पारित कर आवेदकगण का स्थगन आवेदन पत्र निरस्त किया गया । अपर आयुक्त के इसी आदेश के विरूद्ध यह निगरानी इस न्यायालय में प्रस्तुत की गई है ।

3/ आवेदकगण के विद्वान अधिवक्ता द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि जब अपर आयुक्त द्वारा अपील ग्राह्य की गई थी तब उन्हें प्रकरण में स्थगन देना चाहिये था क्योंकि स्थगन नहीं देने से अनावेदकगण द्वारा भूमि का अन्तरण किये जाने की पूर्ण संभावना है । यह भी कहा गया कि आवेदकगण द्वारा प्रश्नाधीन भूमि पंजीकृत विक्रय पत्र के माध्यम से क्रय की गई है । इस कारण भी अपर आयुक्त द्वारा प्रकरण में स्थगन नहीं देने से आवेदकगण के विरूद्ध अन्यायपूर्ण कार्यवाही हुई है और यदि अनावेदकगण द्वारा भूमि का विक्रय कर दिया गया तो उन्हें अपूर्णनीय क्षति होगी । उनके द्वारा अपर आयुक्त का आदेश निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया ।

4/ अनावेदकगण द्वारा मुख्य रूप से तर्क प्रस्तुत किया गया कि आवेदकगण द्वारा एक ही निगरानी प्रस्तुत कर तीन प्रकार का उपचार चाहा गया है जो नहीं दिया जा सकता है । यह भी कहा गया कि निगरानी में केवल प्रश्नाधीन आदेश की वैधानिकता पर विचार किया जा सकता है, तथ्यों पर विचार नहीं किया जा सकता है । उनके द्वारा निगरानी निरस्त किये जाने का अनुरोध किया गया । अंत में तर्क प्रस्तुत किया गया कि अपर आयुक्त के विवेक पर निर्भर था कि वे प्रकरण में स्थगन दे अथवा नहीं । इस संबंध में इस न्यायालय द्वारा हस्तक्षेप करना उचित नहीं है ।

5/ उभयपक्ष के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा प्रस्तुत तर्को के संदर्भ में अभिलेख का अवलोकन किया गया। अपर आयुक्त के आदेश को देखने से स्पष्ट है कि अपर आयुक्त द्वारा इस निष्कर्ष के साथ आवेदकगण का आवेदन पत्र निरस्त किया गया है कि व्यवहार न्यायालय द्वारा अनावेदकगण के पक्ष में यथास्थिति बनाये रखने का आदेश दिया गया है, अतः सुविधा का सन्तुलन आवेदकगण के पक्ष में नहीं है, जो

कि पूर्णतः विधिसंगत कार्यवाही है, इसलिए अपर आयुक्त का आदेश हस्तक्षेप योग्य नहीं है ।

6/ उपरोक्त विवेचना के आधार पर अपर आयुक्त इंदौर संभाग इंदौर द्वारा पारित आदेश दिनांक 05–10–2016 स्थिर रखा जाता है । निगरानी निरस्त की जाती है ।

(मनोज गोयल)
अध्यक्ष,
राजस्व मण्डल, मध्यप्रदेश,
ग्वालियर